न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 30/2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. नरसिंगदान (नरसिंहदान) पिता प्रतापदान जी चारण (मृतक) के बजाय :–

1/1. इन्दरसिंह पिता नरसिंहदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. नारायणसिंह पिता नरसिंहदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. भैरूसिंह पिता नरसिंहदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. श्रीमती प्रकाश कुंवर पुत्री नरसिंहदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती भंवर कुंवर (मृतक) के बजाय :–

1/5/1. बहादुरसिंह पिता रणजीतसिंह जी, निवासी एकलगढ़, सीतामउ, तहसील सीतामउ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

1/5/2. वसुदेवसिंह पिता रणजीतसिंह जी, निवासी एकलगढ़, सीतामउ, तहसील सीतामउ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

1/5/3. हुलास कुंवर पिता रणजीतसिंह जी, निवासी एकलगढ़, सीतामउ, तहसील सीतामउ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रूप कुंवर पुत्री स्व. हरीसिंह उर्फ हरिदान जी चारण पत्नी मानसिंह जी चारण, निवासी सोनियाणा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. मानसिंह पिता गोपानदान जी चारण, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह जी चारण, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. महेन्द्रसिंह पिता मानसिंह जी चारण, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. भैरूसिंह पिता मानसिंह जी चारण, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. बृजराजसिंह पिता मानसिंह जी चारण, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

1/6. भंवर कुंवर पुत्री स्व. रूप कुंवर पत्नी सज्जनसिंह जी चारण, निवासी कड़िया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/7. लाड़ कुंवर पुत्री स्व. रूप कुंवर पत्नी मनोहरसिंह जी चारण, निवासी बड़वाई, पोस्ट फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्रीमती कमला पुत्री स्व. हरीसिंह उर्फ हरिदान जी पत्नी पीनपदानसिंह जी चारण, निवासी सुलई खेरवाड़ा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

3. श्रीमती सायर कुंवर पुत्री स्व.हरीसिंह उर्फ हरिदान जी पत्नी पृथ्वीराजसिंह जी चारण, निवासी राठलिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. श्रीमती पारस कुंवर पत्नी रतनसिंह जी शक्तावत राजपूत, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. श्रीमती स्नेह कुंवर पत्नी तेजसिंह जी शक्तावत राजपूत, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दि.
03–10–2023 प्रकरण संख्या 55/2004

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री विश्वजीतसिंह कर्णावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 4, 5

–––::–––

निर्णय दिनांक 17–05–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी नरसिंहदान एवं स्वर्गीय हरिसिंह उर्फ हरिदाससिंह दोनों सगे भाई होकर प्रतापदान जी चारण की संताने हैं। हरिसिंह जी बड़े व वादी छोटा भाई है। हरिसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22–03–1997 को गांव गुड़ली अपने खाते एवं हिस्से की आराजी नंबर 24, 58, 49, 25 व 53 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 3 बीघा 13 बिस्वा, 3 बिस्वा, 1 बीघा 15 बिस्वा, 16 बीघा 16 बिस्वा, 2 बीघा 6 बिस्वा की वसीयत निष्पादित कर कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया। हरिसिंह का स्वर्गवास दिनांक 17–05–2003 को हुआ। उसकी पत्नी श्रीमती दरियाव कुंवर का स्वर्गवास हरिसिंह की मृत्यु के 49 [illegible] पूर्व ही हो चुका था तथा उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

वक्त उनकी पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काफी छोटी थी तथा हरिसिंह अपनी पुत्रियों के साथ वादी के साथ रहने लगे। वादी से हरिसिंह की पुत्रियों को अपनी पुत्री के समान ही रखा व उनकी शादियों में भी मदद की। हरिसिंह जी की मृत्यु के बाद जब वादी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पटवारी के पास गया तो उन्होंने इंकार कर दिया। वादी को बाद में पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त आरायिजात का विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में कर दिया जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। प्रतिवादीगण इस अवैध एवं शून्य विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजियात विक्रय करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण के ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हरिसिंह जी द्वारा कोई वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं की गयी है, न ही भूमियों का कब्जा ही वादी को सिपुर्द किया गया है। विवादित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा होकर उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में किया गया है। वादी जब तक उक्त विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेता तक तब राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण तकं 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03–10–2023 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–10–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री चावण्डसिंह शक्तावत उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की शहादत बिना बन्द किये प्रकरण सीधे ही बहस में रख दिया, जो सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। वादी ने अपने बाद को बयानों एवं वसीयत पर साक्ष्य देने वालों से साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों पर किसी प्रकार की विवेचन किये वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2023 (4) DNJ (Raj.) Page 1652, WLC (Raj.) UC Page 283, RRT 2019 (1) Page 184, RRT 2019 (1) Page 648, RRD 2020 Page 111, RRD 2017 Page 525, AIR 1954 SC Page 340, AIR 2004 Delhi Page 374, AIR 2019 Gujarat Page 118, AIR 2017 CC Page 152 (HP), AIR Online 2020 SC Page 1199, AIR 2009 SC Page 1648 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें (2011) 0 Supreme (Del) Page 221, (2009) 0 Supreme (Mah) Page 336, Supreme Court of India Dhani Ram (D) v/s Shiv Singh on 6 October 2023, 2005 0 Supreme (Raj.) Page 3233, 2019 0 Supreme (Raj.) Page 2068 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श 6 वसीयत पत्र 20/— रूपये के स्टाम्प पर होकर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी संख्या 1 के विवेचन में साबित नहीं होना मानकर तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानते हुए तनकी नंबर 2 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है जो प्रथम [illegible] होता है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हरीसिंह की [illegible] से उन्हें हरीसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

जी की भूमियां प्राप्त हुई हैं तथा उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में किया गया है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपीलान्टगण जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की राहत पाने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, वह प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–10–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

नरसिंगदान (नरसिंहदान) पिता प्रतापदान चारण मृतक के बजाय इन्दरसिंह पिता नरसिंहदान, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य *बनाम* रूपकुंवर पुत्री स्व.हरीसिंह उर्फ हरिदान चारण मृतक के बजाय मानसिंह पिता गोपालदान, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰......30/2023...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....राजसमन्द........... मुकाम................मुवर्खे.............03..............माह..............10...........2023

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........17....माह........05....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.श्री विश्वजीतसिंह कर्णावत..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री चावण्डसिंह शक्तावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–10–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......17.......माह.......05..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested